

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु०) सीकर  
पीठासीन अधिकारी :- ज्वाला सहाय मीणा, आर०ए०एस०

वाद पत्र सं ::45 / 2025

जीसीएमएस सं० :: 2025 / 83

1. गीगाराम उम्र 70 साल | पुत्रगण हरबक्स
2. लालाराम उम्र 68 साल |
3. गणपतलाल उम्र 66 साल |
4. झाबर उम्र 63 साल |
5. शिवपाल सिंह उम्र 60 साल |
6. गीता देवी उम्र 58 साल | पुत्रिया हरबक्स
7. रूकमा देवी उम्र 58 साल |
8. अणची पत्नी हरबक्स उम्र 90 साल |
9. झूथाराम उम्र 60 साल | पुत्रगण बोदूराम
10. हरफूल उम्र 60 साल |

समस्त जाति जाट नि० ग्राम माजीपुरा तह० दांतारामगढ़ जिला सीकर राज०

-वादीगण,

बनाम


1. मोहन पुत्र किशना |
2. रिछपाल सिंह | पुत्रगण स्व० मूलचंद
3. सुभाष चन्द्र |
4. सांवर सिंह |
5. बहादूर सिंह |
6. नरसिंह |
7. संतोष | पुत्रीगण स्व० मूलचंद
8. किरण देवी |
9. प्रभाती देवी पत्नी स्व० मूलचंद
10. रामचन्द्र पुत्र स्व० जगदेवाराम |
11. सोनी देवी पत्नी स्व० जगदेवाराम |
12. सुनिल कुमार पुत्र स्व० रामनिवास पुत्र स्व० जगदेवाराम |
13. मैना देवी पत्नी स्व० रामनिवास पुत्र स्व० जगदेवाराम |
14. राहुल पुत्र स्व० महेन्द्र पुत्र स्व० जगदेवाराम |
15. गुलाबी देवी पत्नी स्व० महेन्द्र पुत्र स्व० जगदेवाराम |

समस्त जाति जाट नि० ग्राम माजीपुरा तह० दांतारामगढ़, सीकर |

16. उप तहसीलदार, पलसाना |

17. तहसीलदार, दांतारामगढ़ |

-प्रतिवादीगण,

  
सहायक कलक्टर (मु०) सीकर

- उपस्थित :- 1. श्री मनोज भार्गव वकील वादीगण की ओर से।  
2. ,, राजेश मावलियां, प्रति०सं० 1 ता 15 की ओर से।


दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अं० धारा  
88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

निर्णय

दिनांक :: 24.06.25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि वादग्रस्त आराजी भूमि ख०नं० 100 रकबा 0.0300 है० ख०नं० 101 रकबा 0.2900 है० ख०नं० 102 रकबा 0.0100 है० ख०नं० 103 रकबा 0.9400 है० ख०नं० 104 रकबा 0.6800 है० ख०नं० 198 रकबा 0.1800 है० ख०नं० 199 रकबा 1.0300 है० ख०नं० 80 रकबा 0.5100 है० ख०नं० 81 रकबा 0.4200 है० ख०नं० 82 रकबा 0.4200 है० ख०नं० 83 रकबा 0.9000 है० ख०नं० 83/289 रकबा 0.3500 है० ख०नं० 84 रकबा 1.0000 है० ख०नं० 84/288 रकबा 0.3600 है० ख०नं० 85 रकबा 0.0100 है० ख०नं० 86 रकबा 1.7800 है० ख०नं० 87 रकबा 0.0100 है० ख०नं० 88 रकबा 0.6900 है० ख०नं० 89 रकबा 0.4600 है० ख०नं० 90 रकबा 0.4100 है० ख०नं० 94 रकबा 0.0100 है० ख०नं० 95 रकबा 0.2500 है० ख०नं० 98 रकबा 0.0100 है० ख०नं० 99 रकबा 0.2300 है० कुल किता 25 कुल रकबा 12.2800 है० वाके ग्राम मांजीपुरा प०ह० डूंकिया तह० दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में अवस्थित है। जिसमें वादीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्सा है। वादग्रस्त भूमि ख०नं० 12 रकबा 1.7700 है० ख०नं० 15 रकबा 2.9800 है० ख०नं० 16 रकबा 2.8300 है० ख०नं० 17 रकबा 2.6700 है० ख०नं० 18 रकबा 0.6800 है० ख०नं० 27 रकबा 1.3800 है० ख०नं० 28 रकबा 1.6300 है० ख०नं० 29 रकबा 1.5900 है० ख०नं० 3 रकबा 2.6300 है० ख०नं० 30 रकबा 2.8200 है० ख०नं० 31 रकबा 1.9000 है० ख०नं० 32 रकबा 2.9700 है० ख०नं० 6 रकबा 2.4900 है० कुल किता 13 कुल रकबा 28.3400 है० ग्राम चकमाजीपुरा प०ह० डूंकिया तह० दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में अवस्थित है। जिसमें राजस्व रिकार्ड में प्रति०सं० 1 ता 15 का हक हिस्सा अंकित है। परन्तु उपरोक्त वर्णित भूमि पर पूर्वजों के जमाने से वादीगण का ही कब्जा काश्त है इसलिए वादीगण उक्त वादग्रस्त संपदा को अपने हक हिस्से की खातेदारी की उद्घोषणा करवाने के अधिकारी है। वाद के पेरा सं० 3 अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण की वंशावली अंकित है। वादीगण ने वाद पत्र पेश कर वाद की मद सं० 11 की उप मद क,ख,ग, घ अनुसार वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया है।

वाद-पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रतिवादी सं० 1 ता 15 जरिये वकील उपस्थित आए तथा इकबालिया जवाब पेश किया। प्रति०सं० 16 व 17 बावजूद रजिस्ट्रर्ड समन उपस्थित नहीं आने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई। वादी गण एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 15 ने दिनांक 7.5.25 को राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री करने हेतु निवेदन किया।

  
सहायक क्लर्क (मु.) सीकर

*[Handwritten signature]*

दफतर ही।

पत्रावली फ़ैसल शूमार हीकर नंबर से कम ही। बाद तकमील कामजात दाखिल  
निर्णय आज दिनांक 24.06.2025 को सरे इजलास सभागमा गया

सहायक कलक्टर (ग्र0) सीकर

*[Handwritten signature]*

रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी ही।

दिये जाते है। पक्षकारान द्वारा दिनांक 7.5.25 को प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का भाग  
1/16 तक हिस्सा खातेदारी में अंकित करने तकसीलदार, दाताराममाठ को आदेश  
1 लगायत 8 के प्रत्येक के 1/64 हिस्सा व वादीगण सं0 9 व 10 के प्रत्येक के  
ता 15 का नाम हलफ करते हुए उनके तक हिस्से की खातेदारी को वादीगण सं0 1  
गाम माजीपुरा प0र0 इकिया तह0 दाताराममाठ जिला सीकर में प्रतिवादी सं0 1  
2.9700 है0 ख0तां0 6 रकबा 2.4900 है0 कुल किला 13 कुल रकबा 28.3400 है0  
है0 ख0तां0 30 रकबा 2.8200 है0 ख0तां0 31 रकबा 1.9000 है0 ख0तां0 32 रकबा  
ख0तां0 28 रकबा 1.6300 है0 ख0तां0 29 रकबा 1.5900 है0 ख0तां0 3 रकबा 2.6300  
रकबा 2.6700 है0 ख0तां0 18 रकबा 0.6800 है0 ख0तां0 27 रकबा 1.3800 है0  
1.7700 है0 ख0तां0 15 रकबा 2.9800 है0 ख0तां0 16 रकबा 2.8300 है0 ख0तां0 17  
के 1/96 तक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते हुए तथा भूमि ख0तां0 12 रकबा  
तक हिस्सा व प्रति0 सं0 10 व 11 के 1/48 तक हिस्सा प्रति0 सं0 12 लगायत 15  
प्रतिवादी सं0 1 के 1/12 हिस्सा प्रति0 सं0 2 लगायत 9 के प्रत्येक के 1/96  
अवस्थित है, पर से वादीगण का नाम हलफ करते हुए उक्त भूमि का तक हिस्सा  
वाके गाम माजीपुरा प0र0 इकिया तह0 दाताराममाठ जिला सीकर की तन में  
0100 है0 ख0तां0 99 रकबा 0.2300 है0 कुल किला 25 कुल रकबा 12.2800 है0  
ख0तां0 94 रकबा 0.0100 है0 ख0तां0 95 रकबा 0.2500 है0 ख0तां0 98 रकबा 0.  
रकबा 0.6900 है0 ख0तां0 89 रकबा 0.4600 है0 ख0तां0 90 रकबा 0.4100 है0  
0.0100 है0 ख0तां0 86 रकबा 1.7800 है0 ख0तां0 87 रकबा 0.0100 है0 ख0तां0 88  
ख0तां0 84 रकबा 1.0000 है0 ख0तां0 84/288 रकबा 0.3600 है0 ख0तां0 85 रकबा  
0.4200 है0 ख0तां0 83 रकबा 0.9000 है0 ख0तां0 83/289 रकबा 0.3500 है0  
है0 ख0तां0 80 रकबा 0.5100 है0 ख0तां0 81 रकबा 0.4200 है0 ख0तां0 82 रकबा  
है0 ख0तां0 80 रकबा 0.5100 है0 ख0तां0 81 रकबा 0.4200 है0 ख0तां0 82 रकबा  
104 रकबा 0.6800 है0 ख0तां0 198 रकबा 0.1800 है0 ख0तां0 199 रकबा 1.0300  
0.2900 है0 ख0तां0 102 रकबा 0.0100 है0 ख0तां0 103 रकबा 0.9400 है0 ख0तां0  
किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ख0तां0 100 रकबा 0.0300 है0 ख0तां0 101 रकबा  
पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा दिनांक 7.5.2025 अनुसार बाद डिकी  
आत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत बाद

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व  
रिकार्ड, राजीनामा में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान  
वकील वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 15 द्वारा दिनांक 7.5.2025 को प्रस्तुत  
राजीनामा के मुताबिक बाद डिकी करने हेतु सहमति प्रकट की। पत्रावली में  
उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं अवलोकन से जाहिर है कि गाम माजीपुरा एवं तक  
माजीपुरा तहसील दाताराममाठ में अवस्थित विवाहित भूमियां वादीगण एवं  
प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की धृक्क भूमियां है, जिसकी पक्षकारान मुताबिक  
राजीनामा के अनुसार खातेदारी की उद्घोषणा करवाना चाहते है।